प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 29.09.2024

थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान 01 चैन स्नैचर गिरफ्तार

दिनांक 28.09.24 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा आपराधिक घटनाओं के दृष्टिगत राधा कुंज बृजविहार की तरफ से आने वाले रास्ते पर रेलवे पुल कड़कड़ मॉडल के नीचे चेकिंग की जा रही थी तभी मोटर साईकिल सवार दो व्यक्ति राधा कुंज बृजविहार की तरफ से आते दिखायी दिये जिनको चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया गया तो नहीं रुके और अपनी मोटर साईकिल को हम पुलिस वालों को चेकिंग करता देख पीछे मोड़ने लगे तो हड़बड़ाहट में मोटर साईकिल गिर गयी और पुलिस पार्टी को आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से सीधा फायर कर दिया पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे बदमाशों में से एक बदमाश घायल हो गया और एक बदमाश मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1-बबलू पाल उर्फ लक्की उर्फ विक्की उर्फ अक्की उर्फ नोनू पुत्र मान सिंह नि0 बी-9 प्रताप नगर सवोली थाना हर्ष विहार दिल्ली मूल पता ग्राम करियारी थाना चोला जिला बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त बबलू पाल उपरोक्त पर दिल्ली व गाजियाबाद में लूट व चोरी के लगभग दो दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

बरामदगी का विवरण

1. 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा 02 खोखा कारतूस .315 बोर, एक मोटर साईकिल (चोरी की) व 2050 रू0 बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये बिजली की मोटर के पार्टस, साईलेन्सर पार्टस आदि बरामद।

दिनांक 30.08.2024 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 29.08.2024 की रात्रि को उसकी दुकान का सटर खोलकर दो मोटर दोनों 3HP तथा गल्ले से लगभग 1400-1500 रुपये भी चोरी कर लिये तथा दिनांक 05.09.2024 को वादी द्वारा थाना मुरादनगर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 4.9.2024 की रात्रि में गाडी बोलेरो पिकअप जो पिलर न0 918 के सामने शिव शंकर ट्रांसपोर्ट के पीछे खडी थी रात्रि मे किसी अज्ञात चोर द्वारा उक्त गाडी से साईलेंसर की ढोलकी चोरी कर ली है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मुरानदगर पर तत्काल सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात दिनांक 28.09.2024 को थाना मुरादनगर पुलिस पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 शातिर चोर 1. आदिल पुत्र अनिश नि0 भूडबराल थाना परतापुर मेरठ 2. दानिश पुत्र जाहिद नि0 भूडबराल थाना परतापुर

मेरठ 2. कल्लू पुत्र सलीम नि0 मुखिया गेट थाना लोनी गाजियाबाद को रावली रोड ढिढार पुलिया से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किये गये बिजली के मोटर के पार्टस, साईलेन्सर पार्टस ढ़ोलकी बरामद किये गये, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनों ने दिनांक 29.08.2024 को सुठारी मोड पर दुकान का शटर खोलकर गल्ले से 1,500 रू0 व वाशिंग की 02 मोटर चोरी की थी जिनको अलग-अलग पार्टस बनाकर हमने आधा सामान चलते फिरते अनजान व्यक्ति को 3,500 रू0 में बेच दिया था। सभी रूपये हमसे खाने पीने व मौज मस्ती में खर्च हो गये। हमसे बरामद मोटर के पार्टस उसी घटना के है तथा हम तीनों ने मिलकर दिनांक 04.09.2024 की रात्रि में पिलर नं0 918 ट्रान्सपोर्ट के पास से एक पिकअप गाड़ी का साईलेन्सर की ढ़ोलकी चोरी की थी। बरामद साईलेन्सर की ढ़ोलकी उसी घटना की है, हम तीनों इनको बेचने जाने के लिए निकले थे कि आपने पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

1. आदिल पुत्र अनिश नि0 भूडबराल थाना परतापुर मेरठ, उम्र करीब 24 वर्ष
2. दानिश पुत्र जाहिद नि0 भूडबराल थाना परतापुर मेरठ, उम्र करीब 22 वर्ष
2. कल्लू पुत्र सलीम नि0 मुखिया गेट थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष

<u>बरामदगी</u>

बिजली की मोटर के पार्टस, साईलेन्सर पार्टस ढ़ोलकी बरामद।

<u>अपराधिक इतिहास</u>

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम</u>

स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण जोन

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.09.2024 को थाना भोजपुर पर वादिया श्रीमति शाहजहाँ पत्नी शमशाद नि0 ग्राम त्यौडी 13 विस्वा थाना भोजपुर गाजियाबाद ने एक लिखित तहरीर दी कि नौशाद पुत्र शमशाद व रजिया पत्नी नौशाद (पुत्र व पुत्रवधु) नि0गण ग्राम त्यौडी 13 विस्वा थाना भोजपुर गा0बाद द्वारा वादिया के पोते अहद पुत्र नौशाद की लोहे की फूकनी से पीटकर हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 28.09.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त 1-नौशाद पुत्र शमशाद नि0 ग्राम त्यौडी 13 विस्वा थाना भोजपुर कमि0 गा0बाद उम्र 40 वर्ष 2- अभियुक्ता रजिया पत्नी नौशाद निवासी ग्राम त्यौडी 13 विस्वा थाना भोजपुर उम्र 34 वर्ष को उलधन रोड पर मदरसे के पास तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त नौशाद पुत्र समशाद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मै त्योड़ी का रहने वाला हूँ, मेरी किठौर रोड हापुड़ पर नमकीन व पानी आदि की दुकान है। मै त्योड़ी से रोज दुकान पर आना जाना करता हूँ। 2010 में मेरी शादी बदरखा की रहने वाली जीनत के साथ हुई थी। शादी के 01 साल बाद मेरे एक बेटा हुआ जिसकी मृत्यु हो गई थी और फिर शादी के 02 साल बाद जीनत से मेरे एक और बेटा अहद हुआ था। शादी के 04 साल बाद वर्ष 2014 में जीनत मुझे छोड़कर चली गयी और बेटा अहद मेरे पास ही रह गया था तब फिर मैने वर्ष 2019 में रज़िया से दूसरी शादी कर ली थी फिर मै, रजिया तथा मेरा बेटा अहद तीनो साथ रहते थे। मेरी दूसरी बीवी रज़िया के कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो रज़िया ने मेरी बहन की एक बेटी अदीबा को गोद ले लिया था। इसके बाद मेरी दूसरी बीवी रज़िया के एक बेटी आयशा हुई, जिसकी उम्र अब 03 वर्ष है। लड़की होने के बाद मेरा भी मोह अपनी बेटी की तरफ होने लगा था और मेरी पत्नी रज़िया भी कहने लगी थी कि अब तो हमारी बेटी हो गयी है। अहद हमारी बात नहीं मानता है, शरारत करता है यह भी आगे हमारी सम्पत्ति का हिस्सेदार है। जब भी मौका मिलेगा तो हम इसे रास्ते से हटा देंगे।

अहद जब भी छोटी मोटी शरारत करता था तो मेरी पत्नी रज़िया मुझे बताती थी। मै इसी बहाने अहद के साथ मारपीट करता रहता था। दिनाँक 28.09.2024 को हम दोनो ने अहद के ऊपर 500 रूपये चोरी करने का आरोप लगाकर हत्या करने के इरादे से मेरी पत्नी रज़िया मकान के अन्दर वाले गेट पर पर खड़ी होकर अहद को पिटवाती रही, मै कमरे के अन्दर अहद को पीटता रहा। मैने लोहे की फूँकनी से अहद के सिर पर वार कर दिया जिससे मौके पर ही अहद की मृत्यु हो गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता</u>

1- नौशाद पुत्र शमशाद नि0 ग्राम त्यौडी 13 विस्वा थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र 40 वर्ष

2- रजिया पत्नी नौशाद निवासी ग्राम त्यौडी 13 विस्वा थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र 34 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरण</u>

आला कत्ल (लोहे की फुंकनी) बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

थाना भोजपुर पुलिस टीम कमिश्नरेट गा0बाद।

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 55 लाख रुपए कीमत की 2.040 किलोग्राम अफीम सहित एक अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक- 28/09/24 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 80 फुटा कट वजीराबाद रोड थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र से झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही 2.040 किलोग्राम अफीम सहित 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। अफीम तस्कर से बरामद 2.040 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 55 लाख रूपये है।

<u>पूछताछ का विवरण:-</u> पूछताछ पर अभियुक्त मनीष यादव ने बताया कि वह झारखण्ड के चतरा जिला का रहने वाला हैं और बी0ए0 पास है तथा कैन्टर गाडी पर ड्राईवर का काम करता था पूरे दिन काम के बाद सिर्फ 350रू0 मिलते थे कभी काम होता था कभी नही होता था जिससे परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था इसी बीच उसकी मुलाकात सकलदेव यादव से हुई जो उसके पडोस के ग्राम का रहने वाला है सकलदेव ने उसे बताया कि अफीम को झारखण्ड राज्य से दिल्ली एन0सी0आर0, हरियाणा व पंजाब में ले जाकर देने पर प्रति चक्कर रू0 20,000/- मिलेंगे इस पर मनीष यादव उपरोक्त तैयार हो गया और एक दो बार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली एन0सी0आर0, पंजाब व हरियाणा आकर सप्लाई किया जिसमें प्रति चक्कर उसे रू0 20,000/- मिले तथा तस्करी करने से इकट्ठा हुए पैसो से मनीष उपरोक्त स्वयं अवैध अफीम की तस्करी झारखण्ड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे जाकर करने लगा इस काम में उसको काफी फायदा होने लगा। अभियुक्त मनीष यादव ने बताया कि उसे अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना ही माल लेकर वह बस व ट्रेन बदल-बदल कर अलग-अलग रूट से आता हैं, जिस व्यक्ति को माल देना होता है उस व्यक्ति से बात करके मनीष उपरोक्त डिलीवरी देने की जगह व समय पहले ही तय कर लेता हैं कि माल कहाँ, कब और कितने बजे देना है। जब मनीष उपरोक्त माल लेकर चलता हैं तो किसी से सम्पर्क नही करता जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है उसे पंहुचा न दें। इस बार माल की डिलिवरी गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर न्यू सीमापुरी बंगाली बस्ती दिल्ली मे टीनू नाम के व्यक्ति को देनी थी। पूछताछ पर यह भी बताया कि वह पिछले कुछ समय से दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में अफीम की माँग बढी है। यह काम वह पिछले 01 वर्ष से कर रहा हैं एवं कई बार माल पहुँचा चुका हैं मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, जिससे मनीष अपने शौक व घर के खर्चे पूरा करता हैं।

अभियुक्त से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

मनीष यादव पुत्र स्व0 जानकी यादव निवासी ग्राम केन्दुआ थाना गिधहोर जिला चतरा झारखण्ड उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

अफीम 2.040 किलोग्राम कीमत लगभग 55 लाख रूपये

गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास- अभियुक्त मनीष के विरूद्ध गाजियाबाद में 01 अभियोग मादक पदार्थो की तस्करी के सम्बन्ध मे पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. स्वाट टीम क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
2. थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादिया द्वारा लिखित सूचना दी कि कृष्णा वाटिका में प्रोपर्टी डीलिंग का काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक है वह उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके घर में घुस कर उसके साथ गलत काम करता है तथा पुलिस में शिकायत करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी तथा घटना कारित करने वाले अभियुक्त की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना के वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र गोविन्द सिंह निवासी विलमपुर थाना सोरिक जनपद कन्नौज हाल पता फ्लेट न0 301 ब्लाक सी-4/5 साइवन उपवन सोसाइटी पुराना हैबतपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 38 वर्ष को कृष्णा वाटिका थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मै कृष्णा वाटिका सुदामापुरी मे प्रोपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ तथा मेरी पीडिता के पति से दोस्ती थी, जिसके चलते मेरा पीडिता के घर आना जाना हो गया। जब मेरा दोस्त घर पर नहीं रहता था तो कभी कभी मै मौका देखकर वहां चला जाता था तथा मौका देखकर मेरे द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया एवं पुलिस में शिकायत करने पर मेरे द्वारा परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

दीपक पुत्र गोविन्द सिंह निवासी विलमपुर थाना सोरिक जनपद कन्नौज हाल पता फ्लेट न0 301 ब्लाक सी-4/5 साइवन उपबन सोसाइटी पुराना हैबतपुर थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर उम्र 38 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर दुष्कर्म के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा सट्टा की खाई बाडी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से सट्टे के कुल 3350/- रूपये एक डायरी व एक डॉट पेन बरामद।

आज दिनांक 29.09.2024 को थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सट्टे की खाई बाडी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.रहीश पुत्र हनीफ निवासी जमालपुरा सीएचसी के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष 2.सत्तार पुत्र शरीफ तैली निवासी ईदगाह रोड खन्ना नगर थाना अँकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को मय सट्टे की खाईबाडी /जामा तलाशी के कुल 3350 रुपये व एक डायरी व एक डॉट पैन सहित गिरफ्तार किया गया। अभि0 गण का एक साथी पप्पू उर्फ इंतजार पुत्र यामीन निवासी ईदगाह के पास खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गा0बाद मौके से फरार हो गया जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0गणो से पूछताछ का विवरण

अभि0 गणो ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग आपस मे मिलकर सट्टे की खाई बाडी का कार्य करते है। हम लोग जनता के लोगों को लुभाकर एक रूपये के दस रूपये मिलेगे की बात कहकर नम्बरों पर पैसे लगवाते है। ओर उनसे मुनाफा कमाते है। हमारा जो साथी भागा है उसका नाम पप्पू उर्फ इंतजार पुत्र यामीन निवासी ईदगाह के पास खन्ना नगर थाना अंकुर विहार गा0बाद है। वो भी हमारे साथ सट्टे की खाई बाडी का कार्य करता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण -

1.रहीश पुत्र हनीफ निवासी जमालपुरा सीएचसी के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष,

2.सत्तार पुत्र शरीफ तैली निवासी ईदगाह रोड खन्ना नगर थाना अँकुर विहार जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष,

आपराधिक इतिहास –

थाना लोनी पर अभि0गणों के विरूद्ध सट्टा के सम्बध मे पंजीकृत अभियोगो की संख्या -01

बरामदगी का विवरणः-

3350 रुपये व अदद डायरी सट्टा पर्ची, एक डॉट पेन बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

पुलिस टीम थाना लोनी कमिश्नरेट गा0बाद

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा धर्मान्तरण करने में सहयोग करने वाले अभियुक्त को हिरासत मे लिया गया।

दिनांक 29.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक लिखित सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली से आने वाला एक पादरी जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, प्रलोभन देकर और बीमारी का इलाज कराने के बहाने डूंडाहेडा क्षेत्र मे रहने वाले हिन्दु समाज के लोगों का धर्मपरिवर्तन करा रहा था। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत उक्त घटना में शामिल अभियुक्त राजू (पादरी) के सहयोगी पंकज पुत्र हरबीर निवासी सैन बिहार शान्तिनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद तो तत्काल हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा घटना में शामिल अन्य व्यक्तियो की तलाश की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पंकज उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मेरा भाई सचिन जिसने करीब 6 माह पूर्व धर्मान्तरण किया है तथा डूंडाहेडा में एक प्लोट में रविवार के दिन बाईबिल का पाठ करते है जिसमे मौहल्ले के कई लोग भी आ जाते है। जो इस पाठ को सुनते है।

नाम पता हिरासत अभियुक्त –

पंकज पुत्र हरबीर निवासी सैन बिहार शान्तिनगर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

पंकज उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

हिरासत मे लेने वाली पुलिस टीम-
थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी करने वाले वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.09.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर धोखाधड़ी व उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अभियुक्तगण 1. मौलवी अब्दुल रहमान नि0 मसूरी गाजियाबाद हाल पता- जाकिर कालोनी थाना धौलाना जनपद हापुड़ 2.अनुज त्यागी पुत्र कांती प्रसाद त्यागी निवासी ग्राम व थाना निवाडी गाजियाबाद ,हाल पता ओम होम्स रायफल ग्राउन्ड अवन्तिका फेस 2 मकान नं0 UGF 1 थाना कवि नगर उम्र करीब 45 वर्ष ,3.कमल खन्ना पुत्र सतपाल खन्ना निवासी स्व0 सतपाल खन्ना निवासी म0नं0 44 तृतीय तल पॉकेट 9 सैक्टर 23 बेगम पुर नई दिल्ली उम्र करीब 53 वर्ष ,4.किशन पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह निवीसी म0न0 158 गली नं0 4 गऊशाला फाटक गऊपुरी थाना विजय नगर उम्र करीब 42 वर्ष के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमे अभियुक्त मौलवी अब्दुल रहमान नि0 मसूरी गाजियाबाद हाल पता- जाकिर कालोनी थाना धौलाना जनपद हापुड़ को दिनाँक 20.09.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अन्य वांछित 03 अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पति के साथ षड़यन्त्र करके धोखाधडी कर गमिंग फंड के बारे में आमदनी के रुप में कमीशन मिलने का झांसा देकर वादिया के पति की कम्पनी के बैक एकाउन्ट में रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नम्बर की जानकारी कर वादिया के पति के एकाउन्ट में रूपये क्रेडिट होना तथा वादिया के पति को बिना किसी जानकारी के उपरोक्त रूपये एकाउन्ट से निकाल लेना तथा वादिया के पति की कार को बेचकर मिले रूपयों को पेटीएम के माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा अपने एकाउन्ट में रूपये ले लेने के सम्बन्ध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से दो टीम गठित की गई। तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट की मदद से वाँछित 03 अभियुक्तगण (1).अनुज त्यागी पुत्र कांती प्रसाद त्यागी निवासी ग्राम व थाना निवाडी गाजियाबाद ,हाल पता ओम होम्स रायफल ग्राउन्ड अवन्तिका फेस 2 मकान नं0 UGF 1 थाना कवि नगर उम्र करीब 45 वर्ष ,(2).कमल खन्ना पुत्र सतपाल खन्ना निवासी स्व0 सतपाल खन्ना निवासी म0नं0 44 तृतीय तल पॉकेट 9 सैक्टर 23 बेगम पुर नई दिल्ली उम्र करीब 53 वर्ष ,(3).किशन पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह निवीसी म0न0 158 गली नं0 4 गऊशाला फाटक गऊपुरी थाना विजय नगर उम्र करीब 42 वर्ष को आज दिनाँक 29.09.2024 को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-
अभियुक्तगण अनुज त्यागी, कमल खन्ना, किशन उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग आपस में परिचित हैं । हम लोगों को पता चला कि श्रीष ओझा एक इंजीनियरिंग कन्सटेन्सी फर्म SS एसोसिएट का मालिक है जो कि मकानों तथा बिल्डिंगो के नक्शा बनवाने का काम करता है हम लोगों नें मिलकर षड़यन्त्र करके धोखाधडी कर गमिंग फंड के बारे में आमदनी के रुप में कमीशन मिलने का झांसा देकर श्रीष ओझा की कम्पनी के बैक एकाउन्ट में रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नम्बर की जानकारी कर श्रीष ओझा के खाते से रूपये पेटीएम के माध्यम से अपने एकाउन्ट में रूपये लेते थे।
इस व्यक्ति की पत्नी को यह सब पता चल गया था और बाद में हम लोगों को पता चला कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-
(1).अनुज त्यागी पुत्र कांती प्रसाद त्यागी निवासी ग्राम व थाना निवाडी गाजियाबाद ,हाल पता ओम होम्स रायफल ग्राउन्ड अवन्तिका फेस 2 मकान नं0 UGF 1 थाना कवि नगर उम्र करीब 45 वर्ष ,
(2).कमल खन्ना पुत्र सतपाल खन्ना निवासी स्व0 सतपाल खन्ना निवासी म0नं0 44 तृतीय तल पॉकेट 9 सैक्टर 23 बेगम पुर नई दिल्ली उम्र करीब 53 वर्ष ,
(3).किशन पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह निवीसी म0न0 158 गली नं0 4 गऊशाला फाटक गऊपुरी थाना विजय नगर उम्र करीब 42 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना वेव सिटी पुलिस टीम